27.02.2023

परिवादी द्वारा श्री भरत पटेल अधिवक्ता।

परिवादी की ओर से न्यायालय फीस अदा नहीं की गई।

अभिलेख अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 13.02.2019 को परिवाद परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न्यायालय फीस का संदाय नहीं किये जाने पर प्रकरण न्यायालय फीस की अदायगी हेतु नियत किया गया, जिसमें परिवादी को न्यायालय फीस के संदाय हेतु लगभग 20 पर्याप्त अवसर प्रदत्त करते परिवादी की ओर से न्यायालय फीस का संदाय किये जाने में असफल रहने से प्रत्यर्थी के विरूद्ध सुसंगत अपराध का संज्ञान लिये जाने पर विचार किये जाने की कार्यवाही अग्रसरित नहीं की जा सकी है।

अतिरिक्ततः आज पेशी तिथि पर परिवादी द्वारा

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

न्यायालय फीस का संदाय करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त व संतोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं किया गया, जबकि विगत कई पेशियों से परिवादी को न्यायालय फीस का संदाय करने हेतु आदेशित किया जाकर असफल की दशा में परिवाद द.प्र.सं. की धारा 204(4) के उपबंध अंतर्गत खारिज किये जाने के संबंध में भी ध्यान आकर्षित करवाया गया है।

फलतः परिवादी द्वारा न्यायालय फीस का संदाय करने में असफल रहने परिवाद द.प्र.सं. की धारा 204(4) के उपबंध अंतर्गत **खारिज** किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी व सी.आई.एस. में दर्ज किया जाए। आदेश अपलोड किया जाए।

अभिलेख नियत समयावधि में दाखिल अभिलेखागार किया जाए।

27/2/23

(सुशील गेहलोत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद, सेशन खण्ड, पश्चिम निमाड़,
मण्डलेश्वर (म.प्र.)